रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 8, 2011/फाल्गुन 17, 1932
No. 116] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 8, 2011/PHALGUNA 17, 1932

## कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2011

**सा.का.नि. 193(अ).**—अरण्ड बीज श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2011 का निम्नलिखित प्रारुप जिसे केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अरण्ड बीज श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन नियम, 1982 के अधिक्रमण में बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारुप नियमों पर, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा;

2. ऐसा कोई व्यक्ति, जो उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई सुझाव देने की वांछा करता है, भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, प्रधान कार्यालय, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, एन.एच.-IV, फरीदाबाद (हरियाणा)-121001 को भेज सकेगा, जो उसे विचार के लिए केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा ।

3. ऐसे सभी आक्षेपों या सुझावों पर जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्ति से पहले उक्त प्रारुप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

## प्रारुप नियम

1. **संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ :-**

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अरण्ड बीज श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2011 है ।

(ii) ये यूफोरबियेसी परिवार के रिसिनस कोम्यूनिस लिन पौधे से अभिप्राप्त अरण्ड बीजों पर लागू होंगे ।

(iii) ये राजपत्र में उनके अन्तिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे;

2. **परिभाषाएं :-**

(i) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;

(ii) "प्राधिकृत पैकर" से ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्ति- निकाय अभिप्रेत है, जिसे इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट श्रेणी मानकों और प्रक्रिया के अनुसार अरण्ड बीज के श्रेणीकरण और चिह्नांकन के लिए प्राधिकार प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है;

(iii) "प्राधिकार का प्रमाणपत्र" से साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के उपबंधों के अधीन जारी प्रमाणपत्र अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति-निकाय को श्रेणी अभिधान चिह्न के साथ अरण्ड बीज का श्रेणीकरण और चिह्नांकन करने के लिए प्राधिकृत करता है;

(iv) "साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम" से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अधीन बनाए गए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 अभिप्रेत है;

(v) "श्रेणी अभिधान चिह्न" से नियम 5 में निर्दिष्ट "एगमार्क प्रतीक" अभिप्रेत है ।

(vi) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ।

3. **श्रेणी अभिधान** - अरण्ड बीज की क्वालिटी उपदर्शित करने के लिए श्रेणी अभिधान अनुसूची 2 के स्तम्भ 1 में उपवर्णित होगी ।

4. **क्वालिटी** - इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अरण्ड बीजों की क्वालिटी अनुसूची 2 में दिए गए के अनुसार होगी ।

5. **श्रेणी अभिधान चिह्न**- श्रेणी अभिधान चिह्न में प्राधिकार प्रमाणपत्र संख्यांक, "एगमार्क" शब्द, वस्तु का नाम और अनुसूची 1 में यथा उपवर्णित के सदृश श्रेणी अभिधान को सम्मिलित करने वाले डिजाइन से मिलकर बना "एगमार्क प्रतीक" होगा ।

6. **पैकिंग की पद्धति**- (i) अरण्ड बीज को टाट के थैलों या जूट के बने थेलों, पॉलीवोवन थैलों, पॉली, पाउच, कपड़े के थैलों, उच्च सघनता वाले पॉलीथिलीन से विलोपित कागज के थैलों, नए या अन-मेंडेड बी-ट्विल थैलों या ऐसे किसी अन्य उपयुक्त पैकेजिंग सामग्री में पैक किया जाएगा जो भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार द्वारा सम्यक रुप से अनुमोदित हो;

(ii) पैकिंग सामग्री साफ, सुदृढ़ कीट ग्रस्तता और या फफूंद संदूषण से मुक्त होगी और किसी विषाक्त पदार्थ से किसी अवांछनीय या असहनीय गंध से भी मुक्त होगी;

(iii) अरण्ड बीज, तौल एवं माप मानक (पैक की गई वस्तुएं) नियम, 1977 के अनुसार या कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार पैक साइज में पैक होंगे;

(iv) समान लाट या बैच के छोटे पैकों के श्रेणीकृत सामग्री और श्रेणी को श्रेणी अभिधान चिह्न के साथ उसके पूरे ब्यौरों सहित मास्टर आधान में पैक किया जाएगा;

(v) प्रत्येक पैक में समान प्रकार और समान श्रेणी अभिधान के अरण्ड बीज होंगे ।

(vi) प्रत्येक पैक उचित रुप से और सुरक्षित रुप से बंद और सील किए जाएंगे तथा बोरे के मुंह पर सिलाई की जाएगी और जिससे रिसाव/बिखरने की संभावना को समाप्त किया जा सके ।

7. **चिह्नांकन की पद्धति** - (i) श्रेणी अभिधान चिह्न, कृषि विपणन सलाहकार या साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 11 के अनुसार इस निमित्त उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति में प्रत्येक पैकिंग में सुरक्षित रुप से लगाया जाएगा या मुद्रित किया जाएगा ।

(ii) प्रत्येक पैकेज पर श्रेणी अभिधान चिह्न के अतिरिक्त , निम्नलिखित विशिष्टियां स्पष्ट और सुपाठ्य रुप में चिह्नांकित होंगी:-

(क) पैकर का नाम और पता;
(ख) पैकिंग का स्थान;
(ग) पैकिंग की तारीख;
(घ) किस्म या वाणिज्यिक नाम; (वैकल्पिक)
(ड.) फसली वर्ष; (वैकल्पिक)
(च) श्रेणी;
(छ) शुद्ध भार;
(ज) अधिकतम खुदरा कीमत; (सभी करों सहित)
(झ) ..... मास ..... वर्ष के पूर्व उपभोग सर्वोत्तम;
(ञ) कृषि विपणन सलाहकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट समय-समय पर की जाने वाली अन्य विशिष्टयां ।

(iii) पैकजों पर चिह्नांकन के लिए प्रयुक्त स्याही ऐसी गुणवत्ता वाली होगी जो अरण्ड बीजों को संदूषित न करें ।

(iv) प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना निजी व्यापार चिह्न या व्यापार ब्रांड का उपयोग कर सकेगा परन्तु वह इन नियमों के अनुसार लगाए गए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा उपदर्शित क्वालिटी से भिन्न गुणवत्ता उपदर्शित न करता हो ।

8. **प्राधिकार प्रमाणपत्र के लिए विशेष शर्तें** - साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियमों के नियम 3 के उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त, प्रत्येक प्राधिकृत पैकर समय-समय पर कृषि विपणन सलाहकार द्वारा विनिर्दिष्ट सभी अनुदेशों का अनुपालन करेगा;

(i) प्राधिकृत पैकर, अरण्ड बीज की क्वालिटी का परीक्षण करने के लिए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 9 के अनुसार कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उनके द्वारा

प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित, अर्हित रसायनज्ञ द्वारा प्रबंध की जा रही अपनी स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित करेगा या उस प्रयोजन के लिए अनुमोदित राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला या सहकारी/संगम प्रयोगशाला निजी वाणिज्यिक प्रयोगशाला में पहुंच रखेगा;

(ii) परिसरों को स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छ रखा जाएगा तथा इनमें पर्याप्त हवा तथा उचित रोशनी का प्रबंध भी होगा और इन संक्रियाओं में लगे हुए कार्मिकों का अच्छा स्वास्थ्य होगा और वे किसी संचारी, संसर्गी या संक्रामक रोग से मुक्त होंगे;

(iii) परिसर, पक्के फर्श सहित पर्याप्त भंडारण सुविधाओं से युक्त होंगे और वह कृन्तक और कीटों के आकीर्णन से मुक्त होंगे ;

(iv) प्राधिकृत पैकर और अनुमोदित रसायनज्ञ, परीक्षण, श्रेणीकरण, पैकिंग, चिह्नांकन, सील करने और अभिलेखों को रखने संबंधी सभी अनुदेशों का अनुपालन करेंगे जो कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा समय-समय पर इस निमित्त दिए जाएं ।

अनुसूची-1
(नियम 5 देखिए)

(एगमार्क प्रतीक का डिजाइन)

वस्तु का नाम .....

श्रेणी .....

अनुसूची -2
(नियम 3 और 4 देखिए)

**अरण्ड बीज (रिसिनस कोम्यूनिस एल.) की श्रेणी अभिधान और गुणवत्ता**

१. अरण्ड बीज को यूफोरबियेसी परिवार के रिसिनस कोम्यूनिस एल. पौधे के अरण्ड बीज से अभिप्राप्त किया जाएगा ।

२. **न्यूनतम अपेक्षाएं**

(i) अरण्ड बीज निम्न प्रकार होंगे:-

(क) पके हुए, स्वच्छ और सूखे बीज;

(ख) सुडौल रुप में;
(ग) समान आकार, आकृति और रंग की विशेषताओं वाले;
(घ) जीवित और मृत कीटों, कीट गंध, फफूंदी, लारवा से मुक्त;
(ड.) कवक ग्रसित फफूंदवृद्धि से मुक्त;
(च) मिलाए गए रंजक पदार्थ या कृत्रिम रंजक पदार्थ आदि से मुक्त;
(छ) कृंतक बाल और मलमूत्र से मुक्त;
(ज) अन्य अखाद्य बीजों यथा जैट्रोफा, केसरी दाल, नीम, आर्जीमोन मैक्सीकाना और अन्य विषैले बीजों या किसी अन्य विषैली सामग्री से मुक्त;
(झ) विकृतगंधी और भुकड़ी से मुक्त होंगे, उनसे गंध नहीं आएगी या नमी के कारण विकृत आकृति वाले नहीं होंगे ;
(ii) बीजों के आकार के आधार पर श्रेणीकरण किए जाने पर, यह 100 बीजों के वजन के अनुसार होगा और पैकेज पर उचित चिह्नांकन होगा ।
(क) **"बड़ा अरण्ड"** यदि 100 बीजों का वजन 25 ग्राम से अधिक है ।
(ख) **"छोटा अरण्ड"** यदि 100 बीजों का वजन 25 ग्राम से कम है ।

**३. श्रेणी अभिधान के लिए मानदंड:**

सारणी

| श्रेणी अभिधान | बाहरी पदार्थ | | क्षतिग्रस्त और विरंजित बीज का प्रतिशत भार द्वारा | अपरिपक्व और झुर्रीदार बीजों का प्रतिशत भार द्वारा | टूटे हुए बीजों का प्रतिशत भार द्वारा | नमी अंतर्वस्तु का प्रतिशत भार द्वारा | तेल प्रतिशत भार द्वारा | निष्कर्षित तेल का अम्ल मूल्य प्रतिशत भार द्वारा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कार्बनिक प्रतिशत भार द्वारा (अधिकतम) | अकार्बनिक प्रतिशत भार द्वारा (अधिकतम) | (अधिकतम) | (अधिकतम) | (अधिकतम) | (अधिकतम) | (न्यूनतम) | (अधिकतम) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| विशेष | 0.5 | शून्य | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 5.0 | 48.0 | 3.0 |
| मानक | 1.0 | 0.5 | 5.0 | 3.0 | 1.5 | 6.0 | 45.0 | 5.0 |
| साधारण | 2.5 | 1.5 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 40.0 | 8.0 |

**स्पष्टीकरण:**
(क) विजातीय पदार्थ, से निम्नलिखित अभिप्रेत है-
(i) कार्बनिक पदार्थ जो अरण्ड बीज से भिन्न भूसी, तने, तिनके या किसी अन्य कार्बनिक पदार्थ से बना है ।
(ii) अकार्बनिक पदार्थ, जो पत्थर, मिट्टी और धूल से बना है ।
(ख) अपरिपक्व और कीट प्रभावी बीज से ऐसे बीज अभिप्रेत है जो पूर्णतः परिपक्व नहीं हैं और सिकुड़े हुए हैं ।
(ग) टूटे हुए बीज : टूटे हुए बीज वे हैं जो टूटे हुए हैं या सम्पूर्ण नहीं हैं ।
(घ) अन्य बीजः अरण्ड बीज के अलावा अन्य तिलहन ।

४. अन्य अपेक्षाएं :-
(i) अरण्ड बीज की दशा ऐसी होगी जिससे वे निम्नलिखित के लिए समर्थ हो सकें:-
(क) परिवहन और हथालन को सहन करने के लिए, और

(ख) गंतव्य स्थान में समाधानप्रद दशा में पहुंचने के लिए ।

(ii) अरण्ड बीज का स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद दशा में ठंडे और शुष्क स्थान पर भंडारण किया जाएगा ।

[फा. सं. 18011/3/2010-एम-II]

राजेन्द्र कुमार तिवारी, संयुक्त सचिव (विपणन)

**MINISTRY OF AGRICULTURE**

**(Department of Agriculture and Co-operation)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th March, 2011

**G.S.R. 193(E).**—The following draft of the Castor Seeds Grading and Marking Rules, 2011 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), and in supersession of the Castor Seeds Grading and Marking Rules, 1982, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, is hereby published as required by the said section for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public;

2. Any person desirous of making any suggestion in respect of the said draft rules, may forward the same, within the period specified, to the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, Directorate of Marketing and Inspection, Head Office, CGO Complex, NH - IV, Faridabad (Haryana) 121001, who shall forward the same to the Central Government for consideration.

3. All objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

## DRAFT RULES

1. Short title, application and commencement:-

(i) These rules may be called Castor Seeds Grading and Marking Rules, 2011.

(ii) They shall apply to Castor seeds obtained from the plant *Ricinus communis* Linn of the family *Euphorbiaceae*

(iii) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions:-

(i) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India.

(ii) "Authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted a certificate of authorization to grade and mark Castor seeds in accordance with the grade standards and procedure prescribed under these rules;

(iii) "Certificate of Authorisation" means a certificate issued under the provisions of the General Grading and Marking Rules, 1988 authorising a person or a body of persons to grade and mark Castor seeds with the grade designation mark;

(iv) "General Grading and Marking Rules" means the General grading and Marking Rules, 1988 made under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);

(v) "Grade designation mark" means the "Agmark Insignia" referred to in rule 5.

(vi) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.

3. Grade designations. - The Grade designations to indicate the quality of Castor seeds shall be as set out in column I of Criteria for Grade designation of Schedule II.

4. Quality. - For the purpose of these rules, the quality of Castor seeds shall be as given in Schedule II.

5. Grade designation mark:- The grade designation mark shall consist of "AGMARK insignia" consisting of a design incorporating the certificate of authorisation number, the word "AGMARK", name of commodity and grade designation resembling the design as set out in Schedule- I.

6. Method of packing:-

(i) Castor seeds shall be packed in gunny bags/jute bags, polywoven bags, poly pouches, cloth bags; High Density Poly Ethylene (HDPE) laminated paper bags, new or un-mended B-Twill bags or any other packing material as approved by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India.

(ii) The packing material shall be clean, sound, free from insect and/or fungal infestation and should not impart any toxic substance or undesirable odour.

(iii) Castor seeds shall be packed in pack sizes as per the Standards of Weights and Measures (Packaged Commodities) Rules, 1977 or the instructions issued by the Agricultural Marketing Adviser from time to time.

(iv) Graded material of small pack sizes of the same lot/batch and grade may be packed in a master container with complete details thereon along with grade designation mark.

(v) Each package shall contain Castor seeds of the same type and of the same grade designation.

(vi) Each package shall be properly and securely closed and sealed. The mouth of the bag should be stitched as to disallow sweating/spilling.

7. Method of Marking:-

(i) The grade designation mark shall be securely affixed to or printed on each package in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1988.

(ii) In addition to the grade designation mark, following particulars shall be clearly and indelibly marked on each package.

(a) Name and address of the packer;
(b) Place of packing;
(c) Date of packing;
(d) Variety or trade name; (optional)
(e) Crop year (optional)
(f) Grade;
(g) Net weight;
(h) Maximum retail Price (inclusive of all taxes);
(i) BEST BEFORE_____MONTH_____YEAR;
(j) Any other particulars as may be specified by the Agricultural Marketing Adviser from time to time.

(iii) The ink used for marking on packages shall be of such quality which shall not contaminate the Castor seeds.

(iv) The authorised packer, may, after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf, mark his private trade mark or trade brand on the graded packages provided that the same do not indicate quality other than that indicated by the grade designation mark affixed to the graded packages in accordance with these rules.

8. Special conditions of certificate of authorisation:- In addition to the conditions specified in sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules,1988 every authorised packer shall follow all instructions prescribed by Agricultural marketing Adviser from time to time;

(i) The authorized packer shall either set up his own laboratory as per prescribed norms or have access to an approved State Grading Laboratory or Cooperative/Association laboratory or a Private Commercial laboratory manned by a qualified chemist approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorized by him in this behalf in accordance with rule 9 of the General Grading and Marking Rules, 1988 for testing the quality of Castor seeds.

(ii) The premises shall be maintained in perfect hygienic and sanitary conditions with proper ventilations and well lighted arrangement. The personnel engaged in these operations shall be in sound health and free from any infectious, contagious or communicable diseases.

(iii) The premises shall have adequate storage facilities with pucca floor and free from rodent and insect infestation.

(iv) The authorised packer and the approved chemist shall observe all instructions regarding testing, grading, packing, marking, sealing and maintenance of records which may be issued by the Agricultural Marketing Adviser or any other officer authorized by him in this behalf from time to time.

SCHEDULE-I

(See rule 5)
(Design of Agmark insignia)

Name of the Commodity.....

Grade.....

883 GI/11-3

SCHEDULE –II
(see rule 3 and 4)

GRADE DESIGNATION AND QUALITY OF CASTOR SEEDS [*Ricinus communis* L.]

1. Castor seeds shall be obtained from *Ricinus communis* L.of family *Euphorbiacea.*

2. Minimum Requirements:

(i) Castor seeds shall be:-

(a) mature, clean and dried seeds ;
(b) wholesome;
(c) uniform in size, shape and colour;
(d) free from living and dead insects, insect fragments;
(e) free from fungus infestation, moulds and mites;
(f) free from added colouring matter or artificial colouring matter;
(g) free from rodent hair and excreta;
(h) free from the non edible seeds such as Jatropha, Kesari dal, Neem, Argemone maxicana and other toxic seeds or any other toxic material;
(i) free from rancidity and mustiness and the seed shall not emit foul odour or found deformed due to moist condition.

(ii) In case of grading on boldness of seeds, it shall be as per 100 seeds weight and with proper marking on the package.

(a) **"Bold Castor"** : if seed weight is more than 25g for 100 seeds

(b) **"Small Castor"** : if seed weight is less than 25g for 100 seeds.

3. CRITERIA FOR GRADE DESIGNATION:-

**Table**

| Grade Designation | Extraneous matter | | Damage, discolored seeds, percent by mass (max.) | Immature and Shrivelled, percent by mass (max.) | Broken seed, percent by mass (max.) | Moisture content, percent by mass (max.) | Oil content, percent by mass (Min.) | Acid Value of the extracted oil, percent by mass (max.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Organic percent by mass (max.) | Inorganic, percent by mass (max.) | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Special | 0.5 | Nil | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 5.0 | 48.0 | 3.0 |
| Standard | 1.0 | 0.5 | 5.0 | 3.0 | 1.5 | 6.0 | 45.0 | 5.0 |
| General | 2.5 | 1.5 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 40.0 | 8.0 |

Explanation:

(a) Extraneous matter, means-

(i) Organic matter means Chaff, stems, straw or any other organic matter other than the Castor seed.

(ii) Inorganic matter means stones, earth, and other dust.

(b) Immature and shriveled seeds mean the seeds, which are not developed fully and shrunken.

(c) Broken: Broken seed shall be those which are broken or not complete.

(d) Other seed: shall be the oil seeds other than castor seed.

4. Other requirements:

(i) The condition of the Castor seeds shall be as to enable it;-

(a) to withstand transport and handling; and

(b) to arrive in satisfactory condition at the place of destination;

(ii) Castor seeds shall be stored in dry place maintained in a clean and hygienic condition.

[F. No. 18011/03/2010-M.II]

RAJENDRA KUMAR TIWARI, Jt. Secy. (Marketing)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.